

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

खंडपीठ विशेष अपील (रिट) संख्या 1063/2019

में

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 7904/2018

हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड, अपने अधिकृत प्रतिनिधि, अनिल कुमार जैन और अपना पंजीकृत कार्यालय 8, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, चंबाघाट, सोलन, हिमाचल प्रदेश-173213 में के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार, अपने सचिव, राजस्व, विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. जिलाधीश (स्टांप), जयपुर सर्कल-III, कलेक्टरेट, बानी पार्क, जयपुर, राजस्थान।
3. उप-रजिस्ट्रार, सांगानेर-प्रथम, जयपुर।

---- प्रत्यर्थीगण

---

अपीलार्थी (गण) की ओर से:

श्री विश्वजीत भट्टाचार्य वरिष्ठ अधिवक्ता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री देवांश शर्मा अधिवक्ता के साथ श्री अनुरूप सिंघी अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से:

मेजर आर.पी. सिंह, अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जयवर्धन सिंह शेखावत, अधिवक्ता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से।

---

माननीय न्यायमूर्ति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय श्री न्यायमूर्ति बीरेंद्र कुमार

निर्णय

रिपोर्टबल

29/07/2022

न्यायालय द्वारा: (माननीय मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

यह अपील विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित दिनांक 07.06.2019 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत अपीलार्थी-रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका अपास्त कर दी गई है।

2.अपीलार्थी ने अन्य बातों के साथ-साथ इस दलील पर रिट याचिका दायर की कि अपीलार्थी-कंपनी, सोलन, हिमाचल प्रदेश में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है और दूरसंचार उपकरणों, ऑप्टिकल फाइबर केबल के निर्माण और दूरसंचार टर्नकी सेवाएं प्रदान करने का व्यवसाय कर रही है। एक अन्य कंपनी अर्थात् सनविजन इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की व्यवस्था और समामेलन, अपीलार्थी-कंपनी के साथ सनविजन इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की व्यवस्था और समामेलन की योजना को मंजूरी देने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 और 394 के तहत हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई थी। दिनांक 05.01.2011 के आदेश के तहत हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस योजना को मंजूरी दे दी। अंतरणकर्ता और अंतरिती कंपनियों को पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश राज्य के कंपनी रजिस्ट्रार और अंतरणकर्ता के पास आदेश की प्रति दायर करने की अनुमति दी गई थी। कंपनी को समापन की प्रक्रिया के बिना ही भंग कर दिया गया।

3.आगे दलील यह थी कि अपीलार्थी-कंपनी के साथ सनविजन इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की व्यवस्था और समामेलन की योजना की मंजूरी के परिणामस्वरूप, सनविजन इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति और संपत्ति अपीलार्थी-कंपनी और इक्विटी शेयरों के साथ पंजीकृत की गई थी।

सनविजन इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के शेयरधारकों को 1 रुपये के मूल्य के 47 इक्विटी शेयरों के अनुपात में सनविजन इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के प्रत्येक शेयर के लिए 1/- रुपये अंकित मूल्य 10/- भी आवंटित किया गया था। इस प्रकार, सनविजन इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के शेयरधारकों को 47 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किए गए। जिसके पास उक्त कंपनी के एक करोड़ इक्विटी शेयर थे। सनविजन इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के पास राजस्थान सरकार में स्थित 14 पार्सल भूमि भी है। सनविजन इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की ये संपत्तियां भी हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर अपीलार्थी-कंपनी के पक्ष में स्थानांतरित कर दी गईं, जिसके बाद, अपीलार्थी-कंपनी ने 09.01.2017 को जयपुर विकास प्राधिकरण (संक्षेप में 'जेडीए') से संपर्क किया। राजस्व रिकॉर्ड में शिव नगर-द्वितीय/रामनगरिया, जयपुर में स्थित उपरोक्त 14 पार्सल भूमि के उत्परिवर्तन की मांग की गई। जेडीए ने मामले को विधिक परीक्षण के लिए भेजा, जिसके बाद राज्य सरकार ने संविलियन के दस्तावेजों की जांच की और राय बनाई कि स्टांप ड्यूटी की कमी हुई है। इसलिए, अपीलार्थी-कंपनी के खिलाफ कार्यवाही दर्ज करके राजस्थान स्टांप अधिनियम, 1998 (संक्षेप में 'स्टांप अधिनियम 1998') की धारा 51 के तहत एक नोटिस जारी करके अपीलार्थी-कंपनी के खिलाफ मांग उठाई गई थी। अपीलार्थी-कंपनी ने उस कार्यवाही में प्रस्तुत किया कि 14 पार्सल भूमि के मूल्यांकन के लिए देय स्टांप शुल्क राजस्थान सरकार में स्थित, जहां अपीलार्थी-कंपनी हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मंजूरी आदेश के आधार पर मालिक बन गई, केवल स्टांप शुल्क के निर्धारण के लिए मूल्यांकन किया जाना आवश्यक था। नोटिस दिनांक 22.06.2017 के उत्तर में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। उप-रजिस्ट्रार, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि 14 पार्सल भूमि का मूल्यांकन संभव नहीं था, कोई अलग सीमांकन नहीं है जो इस तरह के मूल्यांकन को सक्षम करेगा, दिनांक 07.03.2018 के आदेश के तहत, अपीलार्थी-कंपनी को म्यूटेशन के साथ स्टांप ड्यूटी के रूप में 25 करोड़ रुपये 15 दिनों के भीतर जेडीए में भुगतान करने के

लिए उत्तरदायी ठहराया गया और, ऐसा न करने पर स्टांप अधिनियम 1998 की धारा 56 के तहत कार्रवाई पर विचार किया गया। ऐसी मांग 12,73,29,36,970/-, रुपये पर मूल्यांकन के आधार पर की गई थी। पूरे दस्तावेज का अर्थात्, हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी-कंपनी को सनविजन इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की संपत्तियों के विलय और हस्तांतरण की योजना को मंजूरी देने वाला आदेश। उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी-कंपनी ने इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की।

4. अपीलार्थी के दावे और रिट याचिका में मांगी गई राहत का राज्य द्वारा दलीलों और प्रस्तुतियों पर विरोध किया गया था कि अपीलार्थी-कंपनी ने स्टांप शुल्क की गणना और जमा के आधार पर स्टांप शुल्क की गणना और जमा करने के लिए 14.06.2017 को डीआइजी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। सक्षम प्राधिकारी ने पूरे दस्तावेज को लेकर स्टांप अधिनियम 1998 के प्रावधानों के अनुसार देय स्टांप शुल्क की राशि का आकलन किया, अर्थात्, समग्र रूप से समामेलन की योजना को मंजूरी देने का आदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप न केवल अचल संपत्तियों का हस्तांतरण हुआ, अर्थात्, राजस्थान सरकार में स्थित भूमि के 14 पार्सल जो सनविजन इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में थे, लेकिन शेयरों के मूल्यांकन को भी ध्यान में रखते हुए, जिन्हें हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिणामस्वरूप स्थानांतरित किया गया था। चूंकि अपीलार्थी ने हिमाचल प्रदेश राज्य या किसी अन्य राज्य को हस्तांतरित शेयरों के मूल्यांकन के संबंध में कोई स्टांप शुल्क का भुगतान नहीं किया था, अपीलार्थी पूरे दस्तावेज के मूल्यांकन पर स्टांप शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। रिट याचिका की विचारणीयता पर एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय के अस्तित्व के आधार पर एक आपत्ति भी उठाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि रिट याचिका अपास्त की जा सकती है क्योंकि स्टांप की धारा 65 के तहत पुनरीक्षण याचिका दायर करने का एक प्रभावी वैकल्पिक वैधानिक उपाय मौजूद है। मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण के समक्ष 1998 का अधिनियम और इसलिए, प्रभावी वैकल्पिक उपाय

का लाभ उठाए बिना, रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी।

5. यद्यपि विद्वान एकलपीठ ने वैकल्पिक उपाय के अस्तित्व के आधार पर रिट याचिका की स्थिरता पर आपत्ति को गुणागुण के आधार पर अपास्त कर दिया, लेकिन यह माना गया कि स्टांप अधिनियम 1998 के प्रावधानों के तहत, उच्च द्वारा पारित समामेलन का आदेश हिमाचल प्रदेश न्यायालय, 1998 के स्टांप अधिनियम की धारा 2(XIX) के तहत परिभाषित एक साधन होने के नाते, 1998 के स्टांप अधिनियम की धारा 3(ख) के संदर्भ में स्टांप शुल्क के लिए उत्तरदायी था, भले ही यह लिखत हो और राजस्थान सरकार से बाहर निष्पादित किया गया क्योंकि यह राजस्थान सरकार में स्थित संपत्तियों से संबंधित है। आगे यह माना गया कि स्टांप अधिनियम 1998 के प्रावधान न केवल राजस्थान सरकार में स्थित संपत्तियों के संबंध में लागू होते हैं, बल्कि यह शुल्क के साथ संपूर्ण लिखत के मूल्यांकन तक भी लागू होते हैं। इस प्रकार, लिखत के बाजार मूल्य का मूल्यांकन स्टांप अधिनियम 1998 की धारा 2(xxiii) के अनुसार किया जाना आवश्यक है। विद्वान एकलपीठ ने 1998 के स्टांप अधिनियम की धारा 20 और 21 में निहित प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा वह लिखत, जो भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के तहत भारत के किसी भी हिस्से में शुल्क के साथ प्रभार्य है, राजस्थान सरकार में भी शुल्क की उच्च दर के साथ प्रभार्य हो जाता है और, इसलिए, राजस्थान सरकार न केवल संपूर्ण लिखत के मूल्यांकन के संबंध में बल्कि स्टांप अधिनियम 1998 के तहत निर्धारित दर पर भी स्टांप शुल्क का दावा करने का पात्र है। तर्क यह है कि चूंकि लिखत दूसरे राज्य में पंजीकृत किया गया है, इसलिए, राजस्थान सरकार में प्राधिकारियों द्वारा उक्त लिखत पर शुल्क नहीं लिया जा सकता, को अपास्त कर दिया गया।

5. विद्वान एकलपीठ द्वारा आक्षेपित आदेश की वैधता और वैधता पर प्रश्न उठाते हुए, याचिकाकर्ता (गण) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने हमारे समक्ष तर्क दिया कि विद्वान एकलपीठ का निष्कर्ष यह है कि लिखत पर स्टांप शुल्क लगाने के उद्देश्य से जिसे राजस्थान सरकार से बाहर निष्पादित किया गया

है, स्टांप अधिनियम 1998 में निहित प्रावधानों के अनुसार संपूर्ण लिखत के मूल्यांकन के संबंध में स्टांप शुल्क के भुगतान करना आवश्यक है, जो कि 1998 के स्टांप अधिनियम की धारा 21 के साथ पठित धारा 3 में निहित प्रावधानों के विपरीत है। अपने प्रस्तुतीकरण को विस्तृत करते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी के खिलाफ निष्कर्ष दर्ज करते समय, विद्वान एकलपीठ ने धारा 1, उप-धारा (2) के तहत प्रदान किए गए क्षेत्रीय संबंधों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है; धारा 3, उपधारा (ख); स्टांप अधिनियम 1998 की धारा 21, उप-धारा (1) और धारा 21, उप-धारा (2)। उनके अनुसार, राजस्थान सरकार में दस्तावेज़ जमा करने पर स्टांप शुल्क के भुगतान की देनदारी होगी केवल अचल संपत्तियों के मूल्यांकन तक ही सीमित है, अर्थात्, राजस्थान सरकार में स्थित 14 पार्सल भूमि। लिखत राज्य के बाहर निष्पादित किया गया है, अपीलार्थी- कंपनी और विघटित कंपनी अर्थात् सनविजन इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड दोनों स्थित हैं और पंजीकृत हैं राजस्थान सरकार के बाहर कार्यालयों और हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर होने वाले शेयरों के हस्तांतरण, समामेलन की योजना के तहत हस्तांतरित शेयरों के मूल्यांकन को स्टांप शुल्क की वसूली के उद्देश्य से शामिल नहीं किया जा सकता है।

7. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का आगे प्रस्तुतीकरण यह है कि अर्जित एकलपीठ ने गलती से यह मान लिया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य के पास एक कानून है जो एकीकरण पर स्टांप शुल्क लेता है, जबकि, प्रत्यर्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई कानून प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस तरह की गलत धारणा पर, यह तर्क दिया गया है, विद्वान एकलपीठ ने गलती से यह निष्कर्ष निकाला है कि हिमाचल प्रदेश राज्य ने अपीलार्थी-कंपनी से स्टांप शुल्क की वसूली करने में चूक की है और उस आधार पर विकृत निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा की गई चूक को अपास्त किया जा सकता है। राजस्थान सरकार द्वारा लिखत के संबंध में स्टांप शुल्क की वसूली करके सुधार किया गया। उन्होंने आगे

कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य में साधन पर स्टांप शुल्क लगाने वाले किसी भी स्थानीय कानून के अभाव में, अपीलार्थी-कंपनी योजना के तहत हस्तांतरित शेयरों के मूल्यांकन पर स्टांप शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है। समामेलन, लेकिन स्टांप अधिनियम 1998 की वैधानिक योजना के तहत, केवल शुल्क का अंतर, जो राजस्थान सरकार में स्थित संपत्तियों के बाजार मूल्य से संबंधित है, कानून के तहत देय है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस दलील पर आगे जोर दिया कि चूंकि लिखत हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रभाय नहीं है, इसलिए स्टांप अधिनियम 1998 की धारा 20, 23, 90 और 91 लागू नहीं हैं। अतः क्षेत्रीयता के अभाव में सांठगांठ, संपूर्ण लिखत पर स्टांप शुल्क लगाना, जिसमें हस्तांतरित शेयरों का मूल्यांकन भी शामिल है, कानून की नजर में गलत है। **केंद्रीय उत्पाद शुल्क जिलाधीश, अहमदाबाद बनाम ओरिएंट फैब्रिक्स (पी) लिमिटेड, (2004) 1 एससीसी 597 और पश्चिम बंगाल सरकार बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य, (2004) 10 एससीसी 201**, के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया गया है कि कर लगाने की शक्ति का निहितार्थ से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और स्टांप शुल्क लगाने के लिए, राज्य को स्टांप शुल्क लगाने के लिए सशक्त बनाने वाला स्पष्ट चार्जिंग अनुभाग होना चाहिए। यदि कोई लिखत राजस्थान सरकार से बाहर निष्पादित की जाती है, तो स्टांप शुल्क केवल उन संपत्तियों के संबंध में लगाया जाता है, जो राजस्थान सरकार में स्थित हैं, जो अकेले क्षेत्रीय संबंध रखते हैं, भूमि के 14 पार्सल के मूल्यांकन से परे स्टांप शुल्क लगाया जाता है। राजस्थान सरकार में स्थित स्टांप अधिनियम 1998 के तहत अनुमति नहीं है।

8. इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि विद्वान एकलपीठ ने सही माना है कि एक बार दस्तावेज स्टांप अधिनियम 1998 की धारा 2(xix) के तहत परिभाषित साधन की परिभाषा के अंतर्गत आता है। 14 पार्सल भूमि के संबंध में अभिलेखों के उत्परिवर्तन के लिए प्रस्तुत किया गया लिखत, पूरे दस्तावेज के मूल्यांकन पर स्टांप शुल्क के लिए

प्रभार्य है। उन्होंने आगे कहा कि स्टांप अधिनियम 1998 की धारा 21 के तहत शुल्क के अंतर के भुगतान से संबंधित प्रावधान केवल तभी लागू होंगे जब स्टांप शुल्क का भुगतान उस राज्य में किया गया हो जहां लिखत निष्पादित किया गया था। हालाँकि, चूँकि वर्तमान में ऐसा मामला नहीं है जहाँ स्टांप शुल्क का भुगतान राज्य में किया गया हो हिमाचल प्रदेश या किसी भी राज्य में, अपीलार्थी द्वारा यह दावा करने के लिए स्टांप अधिनियम, 1998 की धारा 21 के प्रावधानों का सहारा नहीं लिया जा सकता है कि अपीलार्थी केवल 14 पार्सल भूमि के मूल्यांकन के आधार पर स्टांप शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। राजस्थान सरकार विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि स्टांप अधिनियम 1998 की धारा 3 के अनुसार, न केवल राजस्थान सरकार में निष्पादित लिखत, बल्कि स्टांप अधिनियम लागू होने की तिथि पर या उसके बाद राजस्थान सरकार से बाहर निष्पादित लिखत भी शामिल हैं, 1998 का शुल्क प्रभार्य है। चूँकि प्रश्नगत लिखत 1998 के स्टांप अधिनियम की धारा 3 के परंतुक के किसी भी खंड के अंतर्गत शामिल नहीं है, यह स्टांप शुल्क के लिए प्रभार्य है और दायित्व को इस आधार पर विवादित नहीं किया जा सकता है कि लिखत को इसके बाहर निष्पादित किया गया है। राजस्थान सरकार अपनी दलीलों के समर्थन में, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने हिंदुस्तान लीवर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2004) 9 एससीसी 438 और न्यू सेंद्रल जूट मिल कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य एआईआर 1963 एससी 1307 के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा जताया है।

9. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, उनकी दलीलों पर गंभीरता से विचार किया है और रिकार्डों का अवलोकन किया है।

10. सूची I-संघ सूची की प्रविष्टि 91 में उल्लिखित उपकरणों या लेनदेन के अलावा अन्य उपकरणों या लेनदेन पर स्टांप शुल्क भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II-राज्य सूची की प्रविष्टि 63 के अनुसार राज्य द्वारा लगाया जाता है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III-समवर्ती सूची की

प्रविष्टि 44 के आधार पर स्टांप शुल्क की दरों से संबंधित प्रावधानों के अलावा अन्य प्रावधान संघ और राज्यदोनों की विधायी शक्ति के अंतर्गत आते हैं।

11. भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या) के अनुकूलन के माध्यम से 1899 का 2), राजस्थान स्टांप कानून (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 (1952 का क्रमांक VII) राजस्थान सरकार में अधिनियमित किया गया था, जो राजस्थान स्टांप अधिनियम, 1998 (अधिनियम) 1999 का क्रमांक 14) द्वारा अपास्त होने तक स्टांप शुल्क का प्रावधान या उद्ग्रहण करता था। जैसाकि स्टांप अधिनियम 1998 की प्रस्तावना में कहा गया है, यह राजस्थान सरकार में स्टांप से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है।

स्टांप अधिनियम, 1998 की धारा 1, उपधारा (2) में प्रावधान है कि इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान सरकार पर है। स्टांप अधिनियम 1998 की धारा 3 में स्टांप शुल्क के साथ लिखत की प्रभार्यता का प्रावधान नीचे दिया गया है:

**“3. शुल्क के लिए प्रभार्य लिखत-इस अधिनियम के प्रावधानों और अनुसूची में निहित छूटों के अधीन, निम्नलिखित लिखत क्रमशः उचित शुल्क के रूप में अनुसूची में इंगित राशि के शुल्क के साथ प्रभार्य होंगी, अर्थात्, -**

(क) उस अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक लिखत, जो पहले किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित नहीं की गई है, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख पर या उसके बाद राज्य में निष्पादित की जाती है;

(ख) उस अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक लिखत, जो पहले किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित नहीं की गई है, उक्त तिथि को या उसके बाद राज्य से बाहर निष्पादित की जाती है, किसी भी संपत्ति की स्थिति से संबंधित है, या किसी मामले या किए गए या किए जाने वाले कार्य से संबंधित है राज्य में की जाती है और राज्य में प्राप्त की जाती है:

**बशर्ते कि निम्नलिखित के संबंध में कोई शुल्क प्रभार्य नहीं होगा-**

(i) ऐसे मामलों में सरकार द्वारा या उसकी ओर से या सरकार के पक्ष में

निष्पादित कोई भी लिखत, जहां इस छूट के अलावा, सरकार ऐसे लिखत के संबंध में शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी;

(ii) किसी भी जलयान या जहाज, या व्यापारी के तहत पंजीकृत किसी भी जलयान या जहाज के किसी हिस्से, ब्याज, शेयर या संपत्ति की बिक्री, हस्तांतरण या अन्य निपटान के लिए कोई भी लिखत, या तो पूरी तरह से या बंधक के माध्यम से या अन्यथा, शिपिंग अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 44), जैसाकि बाद के अधिनियमों द्वारा संशोधित किया गया है।

**[3-क, अधिभार के साथ प्रभार्य कुछ लिखत।-** [(1) अधिनियम की अनुसूची के साथ पढी जाने वाली धारा 3 के तहत शुल्क के साथ प्रभार्य सभी लिखत, ऐसी दर पर अधिभार के साथ प्रभार्य होंगे जो इससे अधिक न हो रेल या सड़क परिवहन प्रणाली, संचार प्रणाली, बिजली जैसी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के तहत ऐसे उपकरणों पर लगने वाले शुल्क का 10 प्रतिशत वितरण प्रणाली, सीवरेज प्रणाली, जल निकासी प्रणाली या राज्य के किसी भी क्षेत्र में सेवा प्रदान करने वाली और नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थानों के वित्तपोषण के लिए ऐसी कोई अन्य सार्वजनिक उपयोगिताएँ।]]

(2) उप-धारा (1) के तहत प्रभार्य अधिभार धारा 3 के तहत प्रभार्य किसी भी शुल्क के अतिरिक्त होगा।

(3) उप-धारा (1) में अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, इस अधिनियम के प्रावधान अब तक उप-धारा (1) के तहत प्रभार्य अधिभार के संबंध में लागू हो सकते हैं, क्योंकि वे धारा 3 के तहत शुल्क प्रभार्य के संबंध में लागू होते हैं।

[(4) उपधारा (3) में उपबंधित के सिवाय, राज्य सरकार इस धारा के

अधीन उद्ग्रहणीय अधिभार के संग्रहण के लिये और उस व्यक्ति के, जिसके माध्यम से अधिभार संगृहीत किया जाता है, कर्तव्यों और पारिश्रमिक को विनियमित करने के लिये नियम बना सकेगी।

[3-ख, गाय और उसकी संतति के संरक्षण और संवर्धन के लिए

**अधिभार.-** (1) अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन शुल्क प्रभार्य सभी लिखत, अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन ऐसे लिखतों पर प्रभार्य शुल्क के 10 प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर अधिभार से प्रभार्य होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा गाय और उसकी संतति के संरक्षण और संवर्धन के प्रयोजन के लिए अधिसूचित की जाए।

(2) 3-ए उप-धारा (1) के तहत प्रभार्य अधिभार धारा 3 के तहत प्रभार्य किसी भी शुल्क के अतिरिक्त होगा और धारा 3-क के तहत प्रभार्य कोई अधिभार होगा।

(3) उप-धारा (1) में अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, इस अधिनियम के प्रावधान अब तक उप-धारा (1) के तहत प्रभार्य अधिभार के संबंध में लागू हो सकते हैं, क्योंकि वे धारा 3 के तहत शुल्क प्रभार्य के संबंध में लागू होते हैं।

[(3क) उपधारा (3) में यथा उपबंधित के सिवाय, राज्य सरकार इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय अधिभार के संग्रहण के लिए और उस व्यक्ति के कर्तव्यों और पारिश्रमिक को विनियमित करने के लिए, जिसके माध्यम से अधिभार संगृहीत किया जाता है, नियम बना सकेगी।

(4) इस धारा के अधीन एकत्रित अधिभार राज्य में गाय और उसकी संतान के संरक्षण और संवर्धन के प्रयोजन के लिए उद्दिष्ट और उपयोग किया जाएगा।

12.स्टांप अधिनियम 1998 की धारा 3(क) और 3(ख) में निर्दिष्ट लिखत वे हैं जिन पर स्टांप अधिनियम 1998 से जुड़ी अनुसूची में दर्शाई गई राशि का शुल्क लगाया जाता है।

अधिनियम के प्रयोजन के लिए, "लिखत" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो;

(xix) "लिखत" में प्रत्येक दस्तावेज़ शामिल है जिसके द्वारा कोई भी अधिकार या दायित्व बनाया, स्थानांतरित, सीमित, विस्तारित, समाप्त या दर्ज किया जाता है या होने का तात्पर्य है;

[स्पष्टीकरण. - शब्द "दस्तावेज़" में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उप-धारा के खंड (टी) में परिभाषित कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है।

इसके अलावा, "संवहन" को स्टॉप अधिनियम 1998 की धारा 2(xi) के तहत निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"2. परिभाषाएँ- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ प्रतिकूल न हो,

(xi) "संवहन" में शामिल हैं, -

(i) बिक्री पर एक संवहन,

(ii) हर लिखत,

(iii) किसी भी सिविल कोर्ट का हर डिक्री या अंतिम आदेश,

[(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 18) या बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 10) की धारा 44क की धारा 232, 233 या 234 के तहत किए गए प्रत्येक आदेश; तथा]

(v) हवाई अधिकारों की बिक्री

(vi) सतह के नीचे के अधिकारों से संबंधित बिक्री/सहमति, जिसके

द्वारा संपत्ति, चाहे वह चल हो या अचल, या किसी संपत्ति में कोई संपत्ति या हित किसी अन्य व्यक्ति, इंटरविवोस को हस्तांतरित या निहित किया जाता है, और जो अन्यथा अनुसूची द्वारा विशेष रूप से प्रदान नहीं किया जाता है।

13. 1998 के स्टॉप अधिनियम से जुड़ी अनुसूची के क्रम संख्या 21 पर, धारा 2 (xi) के तहत परिभाषित संवहन पर स्टॉप शुल्क लगाया जाता है, जैसाकि इसमें दिया गया है:

क्र.सं.	लिखत का विवरण	उपयुक्त स्टॉप शुल्क
21.	धारा 2 (xi) द्वारा परिभाषित परिवहन, -	
	[(i) यदि अचल संपत्ति से संबंधित।	संपत्ति के बाजार मूल्य का ग्यारह प्रतिशत।
	(ii) यदि चल संपत्ति से संबंधित है।	संपत्ति के बाजार मूल्य का आधा (0.5) प्रतिशत।
	[(iii) यदि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 18) की धारा 232, 233 या 234 या बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 10) की धारा 44क के तहत आदेश से संबंधित है किसी कंपनी के समामेलन, पृथक्करण या पुनर्निर्माण के संबंध में।]	[अधिकतम पच्चीस करोड़ रुपये के अधीन- (i) कुल राशि के चार प्रतिशत के बराबर राशि जिसमें जारी किए गए या आवंटित या बदले में अपास्त किए गए शेयर का बाजार मूल्य या अन्यथा, या ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य पर, जो भी अधिक हो और प्रतिफल की राशि, यदि कोई भुगतान किया गया हो, शामिल है। ऐसा समामेलन, पृथक्करण या पुनर्निर्माण, या (ii) हस्तांतरणकर्ता कंपनी की राजस्थान सरकार में स्थित अचल संपत्ति के बाजार मूल्य के चार

		प्रतिशत के बराबर राशि, जो भी अधिक हो।]
	[(iv) यदि हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) से संबंधित है	ऐसे हस्तांतरणीय विकास अधिकारों के लिए अग्रणी संपत्ति के संबंधित हिस्से के बाजार मूल्य के बराबर हस्तांतरणीय विकास अधिकारों के बाजार मूल्य पर पांच प्रतिशत, जो हस्तांतरण का विषय है; या ऐसे संवहन के लिए विचार; जो कोई उच्चतर हो।
	<p><b>छूट-</b> भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 14) के अधीन प्रविष्टि द्वारा कॉपी राइट का समनुदेशन</p> <p><b>स्पष्टीकरण.-</b></p> <p>इस लेख के प्रयोजन के लिए एक अचल संपत्ति या एक अपरिवर्तनीय पावर ऑफ अटॉर्नी या किसी अन्य लिखत को बेचने के लिए एक समझौता जो हस्तांतरण या पट्टे के दौरान निष्पादित होता है जैसे आवंटन पत्र, पट्टा, लाइसेंस आदि, इस तरह के किसी भी लिखत के निष्पादन से पहले, समय या बाद में ऐसी संपत्ति के कब्जे के हस्तांतरण के मामले में, एक संवहन और उस पर स्टांप शुल्क प्रभारी होगा</p>	
	<p><b>बशर्ते कि</b> धारा 51 के प्रावधान ऐसे समझौते या पावर ऑफ अटॉर्नी या लिखत पर लागू होंगे जो एक संवहन पर लागू होते हैं:</p> <p><b>बशर्ते कि</b> इस तरह के समझौते या पावर ऑफ अटॉर्नी या लिखत पर पहले से भुगतान किए गए स्टांप शुल्क को बाद में ऐसे उपकरणों के अनुसरण में एक संवहन या पट्टे के निष्पादन के समय, संवहन या पट्टे पर प्रभार्य शुल्क की कुल राशि के लिए</p>	

समायोजित किया जाएगा।	
स्पष्टीकरण.-(ii) [xxx]	

उपरोक्त प्रावधान इस प्रकार स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि अचल संपत्ति, चल संपत्ति, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 232, 233 या 234 या बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44क के तहत समामेलन, विभाजन या पुनर्निर्माण के संबंध में एक आदेश किसी कंपनी पर प्रावधान में निर्धारित विभिन्न दरों पर स्टॉप शुल्क भी लगाया जाता है। जहां लिखत किसी कंपनी के समामेलन, विभाजन या पुनर्निर्माण के संबंध में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत आदेश से संबंधित एक हस्तांतरण है, यह प्रदान किया जाता है कि अधिकतम 25 करोड़ रुपये के अधीन, कुल राशि के 4% के बराबर राशि जारी किए गए या आवंटित किए गए या बदले में अपास्त किए गए शेयरों के बाजार मूल्य से युक्त राशि, या ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य पर, जो भी अधिक हो और ऐसे समामेलन, डिमर्जर या पुनर्निर्माण के लिए भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, या राशि हस्तांतरणकर्ता कंपनी की राजस्थान सरकार में स्थित अचल संपत्ति के बाजार मूल्य के 4% के बराबर, जो भी अधिक हो, स्टॉप शुल्क लगाया जाएगा।

14. स्टॉप अधिनियम 1998 की धारा 17 और 18 क्रमशः राज्य में या राज्य से बाहर निष्पादित दस्तावेज पर स्टॉप लगाने के समय के संबंध में प्रावधान करती है। स्टॉप अधिनियम 1998 की धारा 20 राजस्थान सरकार में बड़े हुए शुल्क के लिए उत्तरदायी राज्य की कुछ लिखतों पर शुल्क के भुगतान के संबंध में प्रावधान करती है, जबकि स्टॉप अधिनियम 1998 की धारा 21 पंजीकृत लिखतों की प्रतियों पर शुल्क के अंतर का भुगतान या प्रावधान करती है। स्टॉप अधिनियम 1998 की धारा 21 इस प्रकार है:

“21. राज्य के बाहर पंजीकृत लिखतों की प्रतियों पर शुल्क के अंतर का भुगतान-(1) जहां कोई लिखत राजस्थान सरकार के अलावा भारत के किसी भी हिस्से में पंजीकृत है और ऐसा

लिखत पूर्णतः या आंशिक रूप से राजस्थान सरकार में स्थित किसी संपत्ति से संबंधित है राजस्थान, ऐसे लिखत की प्रति, पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्या 16) के तहत राजस्थान सरकार में प्राप्त होने पर, मूल लिखत पर शुल्क के अंतर के साथ चार्ज किए जाने के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) शुल्क के अंतर की गणना राजस्थान सरकार में स्थित संपत्ति की सीमा और संपत्ति की ऐसी सीमा के आनुपातिक विचार या बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

(3) मूल दस्तावेज पर शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी पक्ष पंजीकरण अधिकारी से नोटिस प्राप्त होने पर, ऐसे पंजीकरण अधिकारी द्वारा अनुमत समय के भीतर शुल्क के अंतर का भुगतान करेगा।

(4) जहां किसी लिखत की प्रति से भुगतान किए गए शुल्क में कमी देखी जाती है, जिलाधीश स्वतः संज्ञान ले सकता है या किसी न्यायालय या किसी पंजीकरण अधिकारी के संदर्भ पर, संतुष्ट होने के उद्देश्य से उसके द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर मूल लिखत को उसके समक्ष प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है। उस पर भुगतान किए गए शुल्क की पर्याप्तता के बारे में स्वयं, और इस प्रकार जिलाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया लिखत, उसके कार्यों के प्रदर्श में उसके समक्ष प्रस्तुत या आया हुआ माना जाएगा और धारा 35 और 51 के प्रावधान, यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

(5) "यदि जिलाधीश द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर मूल लिखत का प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उसे निर्धारित समय के

भीतर, लिखत की प्रतिलिपि पर धारा 44 के तहत दंड के साथ, कमी शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान की आवश्यकता हो सकती है।

15. 1998 का स्टॉप अधिनियम एक राजकोषीय कानून है और इसलिए, इसकी कड़ाई से व्याख्या करना आवश्यक है। पश्चिम बंगाल सरकार बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य (सुप्रा.), के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय में कर कानून के संबंध में निर्माण का सिद्धांत नीचे बताया गया था:

“106. इस न्यायालय की कई घोषणाओं से बहने वाली बाध्यकारी प्राधिकारी की न्यायिक राय ने इन सिद्धांतों को तय किया है: (i) एक कर कानून की व्याख्या में, न्यायसंगत विचार पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं। कर संबंधी कानूनों की व्याख्या किसी भी अनुमान या अनुमान के आधार पर नहीं की जा सकती। किसी कर संबंधी कानून की व्याख्या स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई बातों के आधार पर की जानी चाहिए; इसका कोई ऐसा अर्थ नहीं हो सकता जो व्यक्त न किया गया हो; यह किसी भी कमी को पूरा करने के लिए कानून में प्रावधानों को नहीं अपना सकती; (ii) किसी भी व्यक्ति पर कर लगाने से पहले धारा में प्रयुक्त स्पष्ट शब्दों द्वारा यह दर्शाया जाना चाहिए कि वह कर लगाने की धारा के दायरे में आता है; और (iii) यदि शब्द अस्पष्ट हैं और दो व्याख्याओं के लिए खुले हैं, तो व्याख्या का लाभ विषय को दिया जाता है। यदि विधायिका द्वारा स्वयं को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने में विफलता के कारण कानून का पत्र उसे पकड़ने में विफल हो जाता है, तो करदाता के भागने में कुछ भी अन्यायपूर्ण नहीं है। (न्यायाधीश जी.पी. सिंह, उक्त, पृ.638-39 देखें)।”

16. केंद्रीय उत्पाद शुल्क जिलाधीश, अहमदाबाद बनाम ओरिएंट फैब्रिक्स (पी) लिमिटेड

(सुप्रा.), के मामले में एक अन्य निर्णय में।माननीय उच्चतम न्यायालय में उनके आधिपत्य ने नीचे दिए गए कर निर्धारण कानून के निर्माण के संबंध में सुस्थापित सिद्धांत को बहाल किया:

“6. उक्त प्रावधान के अवलोकन से पता चलता है कि अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन को दंडात्मक या अपराध नहीं बनाया गया है और सामान को जब्त करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है। यह केवल केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रक्रियात्मक प्रावधानों को लागू करने का प्रावधान करता है। यह अब एकीकृत नहीं रह गया है कि जब अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन प्रकृति में दंडात्मक है या अतिरिक्त कर के माध्यम से जुर्माना लगाया जाता है, तो संवैधानिक जनादेश के लिए इसे लागू करने के लिए कानून के स्पष्ट अधिकार की आवश्यकता होती है। संविधान के अनुच्छेद 265 में प्रावधान है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या एकत्र नहीं किया जाएगा। प्राधिकार विशिष्ट और स्पष्ट तथा स्पष्ट रूप से प्रदान किया जाना चाहिए। अधिनियम ने उत्पाद शुल्क के लिए अतिरिक्त शुल्क के लिए दायित्व बनाया, लेकिन किसी भी दंड के लिए कोई दायित्व नहीं बनाया। ऐसा होने पर, प्रत्यर्थीगण के खिलाफ ज़बती की कार्यवाही अनुचित और कानून के अधिकार के बिना थी।

17. 1998 का स्टॉप अधिनियम, एक राजकोषीय कानून होने के कारण, इसकी प्रयोज्यता अधिनियम की योजना तक ही सीमित है। हमीद जोहारन (मृत) और अन्य बनाम अब्दुल सलाम (मृत) एलआर और अन्य द्वारा (2001) 7 एससीसी 573 के मामले में। इसे नीचे के रूप में अभिनिर्धारित किया गया था:

“38. भारतीय स्टॉप अधिनियम की धारा 35 के साथ पठित धारा 2 (15) की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, ध्यान दें कि भारतीय

स्टांप अधिनियम, 1899 (1899 का अधिनियम 2) को संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए विधान में शामिल किया गया है। टिकटों के लिए इस प्रकार इसकी प्रयोज्यता अधिनियम की योजना तक ही सीमित है। यह प्रकृति में एक सच्चा राजकोषीय कानून है, क्योंकि इसे लागू करने के लिए सख्त निर्माण की आवश्यकता होती है और कोई उदार व्याख्या नहीं होती है।

सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम दिलीप कुमार एंड कंपनी और अन्य (2018) 9 एससीसी 1, के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा हालिया न्यायिक निर्णय में से एक में, लागू सिद्धांतों को संक्षेप में नीचे दिया गया था:

“55. इसके लिए प्रचुर न्यायशास्त्रीय औचित्य मौजूद है। लिखित संविधान द्वारा कानून के शासन के शासन में कराधान की कोई निहित शक्ति नहीं होती है। कर शक्ति विशेष रूप से प्रदान की जानी चाहिए और यह संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुरूप ही होनी चाहिए। यही कारण है कि न्यायालय किसी राज्य द्वारा अपने नागरिकों से विभिन्न करों की मांग करने और उनसे धन निकालने से पहले कड़ाई से अनुपालन पर जोर देती हैं। इसलिए, कराधान प्रावधान में किसी भी अस्पष्टता की व्याख्या विषय/निर्धारिती के पक्ष में की जाती है। कानून का यह कथन कि कराधान कानून में अस्पष्टता की कड़ाई से व्याख्या की जानी चाहिए और अस्पष्टता की स्थिति में लाभ विषय/करदाता को जाना चाहिए, विभिन्न स्थितियों की कल्पना करना उचित हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कर के विषय में अस्पष्टता है, अर्थात् कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या चीजें कौन हैं, और क्या राजस्व ने मांग

बढ़ाने और उचित ठहराने से पहले शर्तें स्थापित की हैं। सभी व्यक्तियों को कर के दायरे में लाने का मामला भी ऐसा ही है, ऐसी स्थिति में राज्य को व्यक्तियों के दायित्व को सिद्ध करना होता है, जैसाकि कानून की सख्त भाषा में उत्पन्न हो सकता है। कर के विषय या कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की पहचान करने में कोई निहित अवधारणा नहीं हो सकती है। इसीलिए यह अक्सर कहा जाता है कि किसी विषय पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए, जब तक कि कानून के शब्द उस पर स्पष्ट रूप से कर न लगा दें, किसी को केवल स्पष्ट रूप से कहे गए शब्दों को देखना होगा और किसी भी इरादे या अनुमान के लिए कर के रूप में कोई जगह नहीं है। यह केवल कानून का अक्षरशः है, न कि कानून की भावना कि किसी भी कठिनाई की अनदेखी करते हुए कर के दायित्व का निर्णय करने के लिए दुभाषिया का मार्गदर्शन किया जाए और कराधान में समानता से बचना। इस प्रकार, हम दृढ़तापूर्वक दोहरा सकते हैं कि यदि कराधान दायित्व कानून में अस्पष्टता की स्थिति में, लाभ विषय/निर्धारिता को जाना चाहिए। लेकिन, ऐसी स्थिति में जहां कर छूट की व्याख्या की जानी है, संदेह का लाभ राजस्व के पक्ष में जाना चाहिए, उपरोक्त निष्कर्ष केवल हमारे निष्कर्ष के लिए न्यायशास्त्रीय आधार को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक प्रस्तावना के रूप में सामने रखे गए हैं। अब हम उन निर्णयों पर विचार कर सकते हैं जो हमारे दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं।

18. उपरोक्त न्यायिक घोषणाओं में अंतर्निहित सिद्धांत विधिक स्थिति को सुस्थापित और स्पष्ट करता है कि टिकटों के विषय पर कानून पूरी तरह से सकारात्मक न्याय का मामला है। कर लगाने के लिए किसी अधिनियम को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाना

चाहिए। जब तक कि शुल्क लगाने वाली भाषा स्पष्ट और सुस्पष्ट न हो कोई कर नहीं लगाया जाएगा।

19. राजकोषीय कानून की व्याख्या के व्यापक सिद्धांत को सामने रखते हुए, अब हम वर्तमान याचिका में शामिल विवाद पर निर्णय लेने के लिए 1998 के स्टांप अधिनियम के तहत यहां ऊपर उल्लिखित विभिन्न प्रावधानों में शामिल वैधानिक योजना का विश्लेषण करेंगे।

20. जबकि स्टांप अधिनियम, 1998 की धारा 1, उपधारा (2) स्टांप अधिनियम, 1998 के क्षेत्रीय अनुप्रयोग का प्रावधान करती है, अर्थात, राजस्थान सरकार के भीतर, स्टांप अधिनियम 1998 की धारा 3 न केवल स्टांप शुल्क लगाने का प्रावधान करती है। अनुसूची में निर्दिष्ट उन लिखतों पर, उसमें दर्शाई गई शुल्क की राशि के साथ, जो स्टांप अधिनियम 1998 के प्रारंभ होने की तारीख पर या उसके बाद राज्य में निष्पादित किए जाते हैं, लेकिन राज्य के बाहर निष्पादित लिखतों पर स्टांप शुल्क लगाने का भी प्रावधान है।

1998 के स्टांप अधिनियम की धारा 3 अभिव्यक्ति के साथ है, "इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन", जो यह स्पष्ट करती है कि शुल्क के साथ प्रभार्यता अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन होगी। स्टांप अधिनियम 1998। इसके अलावा, ऐसी लेवी अनुसूची में निहित छूट के अधीन है।

जहाँ तक 1998 के स्टांप अधिनियम से जुड़ी अनुसूची में उल्लिखित दस्तावेज का प्रश्न है, जो पहले किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है, 1998 के स्टांप अधिनियम के प्रारंभ होने पर या उसके बाद राज्य से बाहर निष्पादित किया जाता है, जैसाकि उप-धारा(ख) के तहत प्रदान किया गया है। 1998 के स्टांप अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, राज्य के बाहर निष्पादित ऐसा लिखत स्टांप शुल्क के दायरे में आएगा जब वह लिखत राज्य में स्थित किसी संपत्ति या किसी मामले या किए गए या किए जाने वाले कार्य से संबंधित हो और है राज्य में प्राप्त हो।

स्टांप अधिनियम 1998 की धारा 3 (ख) में निहित प्रावधानों की निष्पक्ष

एवं तर्कसंगत संरचना की शाब्दिक व्याख्या का स्पष्ट अर्थ यह होगा कि अनुसूची में उल्लिखित एक लिखत, जो राजस्थान सरकार के बाहर निष्पादित है, उस पर शुल्क लगाया जाएगा जब इसमें एक क्षेत्रीय सांठगांठ है। ऐसा नहीं है कि राज्य के बाहर निष्पादित स्टांप अधिनियम 1998 से जुड़ी अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्येक लिखत स्टांप शुल्क के दायरे में आता है, लेकिन केवल वे जो राज्य में स्थित किसी संपत्ति से संबंधित हैं या किसी मामले या किए गए कार्य से संबंधित हैं, राज्य में किया जाना है तथा राज्य में प्राप्त किया जाना है।

राज्य के बाहर निष्पादित किए गए लिखत, जो अन्यथा 1998 के स्टांप अधिनियम की धारा 3 (ख) में निर्दिष्ट क्षेत्रीय गठजोड़ को सहन करते हैं, उन्हें तीन माह के भीतर मुहर लगाना आवश्यक है यदि लिखत पहली बार राजस्थान सरकार में प्राप्त हुई हैं, जैसाकि 1998 के स्टांप अधिनियम की धारा 18 के तहत प्रदान की गई है।

21. 1998 के स्टांप अधिनियम की धारा 21 में राज्य के बाहर पंजीकृत दस्तावेजों की प्रतियों पर शुल्क के अंतर के भुगतान का प्रावधान है, जैसाकि यहां ऊपर उद्धृत किया गया है। इसमें प्रावधान है कि जब कोई लिखत राजस्थान सरकार के अलावा भारत के किसी भी हिस्से में पंजीकृत है और ऐसा लिखत पूर्णतः या आंशिक रूप से राजस्थान सरकार में स्थित किसी संपत्ति से संबंधित है, तो ऐसे लिखत की प्रतियां, जब राजस्थान सरकार में प्राप्त होती हैं पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत, मूल लिखत पर शुल्क के अंतर के साथ शुल्क लिया जाएगा। इसमें आगे प्रावधान है कि शुल्क के अंतर की गणना राजस्थान सरकार में स्थित संपत्ति की सीमा और संपत्ति की ऐसी सीमा के आनुपातिक विचार या बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। 1998 के स्टांप अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) में निहित उपरोक्त प्रावधानों को जब 1998 के स्टांप अधिनियम की धारा 3 में निहित प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता है, तो स्पष्ट रूप से उसमें दी गई सीमा तक राजस्थान सरकार के बाहर निष्पादित एक लिखत पर स्टांप शुल्क लगाने का प्रावधान है। राजस्थान सरकार के बाहर निष्पादित लिखत पर स्टांप शुल्क की वसूली स्टांप अधिनियम 1998 की धारा 3 और 21 की वैधानिक योजना

के अनुसारही प्रतिबंधित है।

22. 1998 के स्टॉप अधिनियम की धारा 3 शुल्क के साथ लिखत की प्रभार्यता प्रदान करने वाली चार्जिंग धारा है। वह कर निर्धारण घटना, जो राजस्थान सरकार में निष्पादित किए गए लिखत पर स्टॉप शुल्क के भुगतान के दायित्व को आकर्षित करती है, उस कर लगाने की घटना से भौतिक रूप से भिन्न है, जहां लिखत राजस्थान सरकार के बाहर निष्पादित की जाती है। जबकि स्टॉप अधिनियम 1998 की धारा 3 की उपधारा (क) राजस्थान सरकार के भीतर निष्पादित लिखत से संबंधित है, स्टॉप अधिनियम 1998 की धारा 3 की उपधारा (ख) राजस्थान सरकार के बाहर निष्पादित लिखत पर स्टॉप शुल्क लगाने के संबंध में प्रावधान करती है।

23. इस स्तर पर, कर निर्धारण की व्याख्या करना प्रासंगिक और लाभदायक होगा, जो प्रत्येक कर के मूल में निहित है।

**गुडइयर इंडिया लिमिटेड और अन्य बनामस्टेट ऑफ़ आर्याना एंड अदर, (1990) 2 एससीसी 71, के मामले में कानून। देयर लॉर्डशिप्स इन द माननीय उच्चतम न्यायालय ने कर लगाने की घटना को नीचे इस प्रकार समझाया:**

“15. यह सुस्थापित है कि कर योग्य घटना क्या है या उचित कानून में कराधान की आवश्यकता क्या है, प्रावधानों को समझकर इसका पता लगाया जाना चाहिए। आवश्यक कार्य यह पता लगाना है कि कर योग्य घटना क्या है। जिसे अप्रत्यक्ष कर माना जाता है, उसमें निर्माण के परिणाम और बिक्री के परिणाम के बीच एक स्पष्ट अंतर होता है।

अभिव्यक्ति "कर लगाने की घटना" को नीचे इस प्रकार विस्तृत किया गया है:

“26. यह सर्वविदित है कि कर योग्य घटना के निर्धारण के लिए मुख्य परीक्षण वह है जिसके घटित होने पर शुल्क लगाया जाता है। अक्सर प्राप्ति को अगली तारीख तक के लिए टाल

दिया जाता है। कुछ मामलों में लेवी की मात्रा का निर्धारण और कर की वसूली भी स्थगित कर दी जाती है। यह सर्वविदित है कि कर लगाने के तीन चरण होते हैं। दायित्व की घोषणा है, यह कानून का वह हिस्सा है जो यह निर्धारित करता है कि किस संपत्ति के संबंध में कौन से व्यक्ति उत्तरदायी हैं। अगला, मूल्यांकन है। उत्तरदायित्व मूल्यांकन पर निर्भर नहीं करता है, वह पूर्व परिकल्पना पहले ही तय हो चुकी है। लेकिन मूल्यांकन उस सटीक राशि का विवरण देता है जिसे एक व्यक्ति भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। अंत में वसूली का तरीका आता है यदि करदाता व्यक्ति स्वेच्छा से कर नहीं चुकाता है। व्हिटनी बनाम आईआरसी 1926 एसी 37, 52 में लॉर्ड डुनेडिन की टिप्पणियों और चट्टराम बनाम सीआईटी 15 आईटीआर 302, 308 (एफसी) में संघीय न्यायालय की टिप्पणियों का संदर्भ लिया जा सकता है।

27. कर योग्य घटना वह है जिसके घटित होने पर कर दायित्व बनता है या आकर्षित होता है। ऐसी देनदारी किसी भी पहले या बाद के समय में अस्तित्व में नहीं होती है या अर्जित नहीं होती है। किसी कर की विषय-वस्तु की पहचान चार्जिंग अनुभाग में पाई जानी है...

29. इसलिए, सभी मामलों में यह पता लगाना आवश्यक है कि जो कर्तव्य आकर्षित किया गया है उसका सार क्या है। करयोग्य घटना वह है जिसका कर लगाने से गहरा संबंध है।

65. राजकोषीय विधानों में सामान्यतः प्रभार सृजित किया जाता है। कराधान की शरारत कर योग्य घटना के होने पर होती है। अलग-अलग करों में अलग-अलग कर योग्य घटनाएं होती हैं"

24. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त परीक्षण को लागू करते हुए, 1998 के स्टांप अधिनियम की धारा 3(ख) को पढ़ने से पता चलता है कि अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक लिखत 1998 के स्टांप अधिनियम से जुड़ा हुआ है, जो है राज्य से बाहर निष्पादित, स्टांप अधिनियम 1998, एक राज्य कानून के तहत स्टांप शुल्क के साथ प्रभार्य है, जब यह स्थित किसी संपत्ति से संबंधित है, या राज्य में किए गए या किए जाने वाले किसी भी मामले या चीज़ से संबंधित है और राज्य में प्राप्त होता है। इसलिए, प्रावधान स्पष्ट रूप से कर लगाने की घटना के लिए प्रदान करता है, जो एक लिखत बनाता है, हालांकि राजस्थान सरकार के बाहर निष्पादित, राज्य कानून के तहत स्टांप शुल्क के साथ प्रभार्य है, अर्थात् स्टांप अधिनियम 1998। कर लगाने की घटना, अभिव्यक्ति के मद्देनजर, "किसी भी संपत्ति की स्थिति से संबंधित है, या राज्य में किए गए या किए जाने वाले किसी भी मामले या चीज़ से संबंधित है और राज्य में प्राप्त होता है" क्षेत्रीय सांठगांठ की प्रकृति में संबंध रखता है। 1998 के स्टांप अधिनियम की धारा 3 के तहत उपरोक्त विधिक आवश्यकता के अभाव में, 1998 के स्टांप अधिनियम के तहत परिभाषित एक लिखत, भले ही एक संवहन के रूप में और 1998 के स्टांप अधिनियम से जुड़ी अनुसूची में उल्लिखित हो, इसके अधीन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि अभिव्यक्ति के तहत पहली विधिक आवश्यकता, अर्थात्, "किसी भी संपत्ति की स्थिति से संबंधित है, या राज्य में किए गए या किए जाने वाले किसी भी मामले या चीज़ से संबंधित है", अनुपस्थित है, भले ही यह राज्य में प्राप्त हो, तो यह नहीं हो सकता है राज्य विधान, अर्थात्, राजस्थान स्टांप अधिनियम, 1998 के तहत स्टांप शुल्क लगाया जाना चाहिए। इसलिए, यह पर्याप्त नहीं है कि लिखत एक संवहन है जैसाकि 1998 के स्टांप अधिनियम से जुड़ी अनुसूची में संख्या 21, में प्रविष्टि द्वारा कवर किया गया है। लेकिन 1998 के स्टांप अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (ख) के तहत आवश्यक क्षेत्रीय संबंध होना चाहिए, यदि लिखत के राज्य बाहर से निष्पादित एक लिखत होता है ।

25. राज्य विधान के क्षेत्रीय संबंध के पहलू को माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मुंबई सरकार बनाम आर.एम.डी. चमारबागवाला और अन्य, एआईआर 1957 एससी 699**, के

मामले में मुंबई लॉटरी और पंचाट प्रतियोगिता नियंत्रण और कर अधिनियम (1948 का 54) की संवैधानिक वैधता को चुनौती के मामले में अपने शुरुआती निर्णय में समझाया था। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठाया गया विवाद, जैसाकि उल्लेखित हैका पैरा 24, नीचे दिया गया था:

“(24) याचिकाकर्तागण द्वारा आग्रह किया गया अगला बिंदु अनुच्छेद के तहत है। 245 और 246 के तहत किसी राज्य का विधानमंडल केवल राज्य या उसके किसी भाग के लिए एक कानून बना सकता है और परिणामस्वरूप विधानमंडल ने अपने विधायी क्षेत्र की सीमाओं को पार कर लिया है, जब लागू अधिनियम द्वारा राज्य के बाहर रहने वाले और व्यवसाय करने वाले लोगों को प्रभावित करना बताया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि राज्य और उन याचिकाकर्तागण की गतिविधियों के बीच कोई पर्याप्त क्षेत्रीय संबंध नहीं है जो राज्य में नहीं हैं।

उपरोक्त तर्कों पर विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्षेत्रीय सांठगांठ के सिद्धांत को निम्नानुसार समझाया:

“क्षेत्रीय सांठगांठ का सिद्धांत सुस्थापित है और सिद्धांतों के संबंध में कोई विवाद नहीं है। जैसाकि याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है, यदि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाने की मांग की गई है और उस पर कर लगाने की मांग करने वाले राज्य के बीच कोई क्षेत्रीय संबंध है, तो कर संबंधी कानून को बरकरार रखा जा सकता है। क्षेत्रीय संबंध की पर्याप्तता में दो तत्वों पर विचार शामिल है, अर्थात्, (क) कनेक्शन वास्तविक होना चाहिए और भ्रामक नहीं होना चाहिए और (ख) जिस दायित्व को लागू करने की मांग की गई है वह उस कनेक्शन के लिए प्रासंगिक होना चाहिए।

यह माना जाता है कि वैधता के प्रश्न पर इसका कोई महत्व नहीं है कि लगाया गया दायित्व क्षेत्रीय संबंध से पूरी तरह असंगत है या हो सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि कनेक्शन ऊपर उल्लिखित अर्थ में पर्याप्त है, तो ऐसे कनेक्शन की सीमा केवल नीति को प्रभावित करती है, न कि कानून की वैधता को। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या हमारे सामने वाले मामले में मुंबई विधानमंडल को आक्षेपित कानून बनाने का अधिकार देने के लिए पर्याप्त क्षेत्रीय गठजोड़ था।

26. क्षेत्रीय संबंध या सांठगांठ के सिद्धांत को माननीय उच्चतम न्यायालय ने **टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार सरकार, एआईआर 1958 एससी 452** के मामले में चुनौती के मामले में अपने बाद के निर्णय में फिर से लागू किया था। बिहार बिक्री कर अधिनियम (1947 का 19) की वैधता यहां ऊपर उल्लिखित पूर्व निर्णय पर निर्भर करती है। **मुंबई सरकार बनाम आर.एम.डी. चमारबागवाला और अन्य (सुप्रा.)**, के मामले में पहले के निर्णय में की गई टिप्पणियों का उल्लेख करने के बाद उनके आधिपत्य ने माना कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि क्षेत्रीय सांठगांठ के सिद्धांत को राज्य बिक्री कर कानून पर लागू नहीं किया जाना चाहिए जैसाकि नीचे दिया गया है:

“(14).....इस अवसर पर हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम कोई व्यापक प्रस्ताव रखें कि क्या सांठगांठ का सिद्धांत, कानून के सिद्धांत के रूप में, सभी प्रकार के कानूनों पर लागू होता है। अब विचाराधीन मुद्दे को निपटाने के लिए, यह कहना पर्याप्त होगा कि इस न्यायालय को अपने आवेदन को आयकर कानून तक ही सीमित रखने का कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला है, बल्कि इसे बिक्री कर और जुए पर कर तक बढ़ा दिया है और हमें ऐसा नहीं लगता है। ठोस कारण है कि सांठगांठ सिद्धांत को बिक्री कर कानून पर लागू नहीं किया जाना

चाहिए।"

27. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मेसर्स होचस्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और अन्य बनाम बिहार सरकार और अन्य (1983) 4 एससीसी 45, के मामले में क्षेत्रीय सांठगांठ के सिद्धांत को फिर से लागू किया गया था। बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की संवैधानिक वैधता की जांच करते हुए, इस तर्क के आधार पर कि राज्य कानून संवैधानिक प्रावधानों से परे है, अंतरराज्यीय व्यापार के दौरान बिक्री पर अधिभार लगाता है और इसके बाहर राज्य। अधिभार की वैधानिक योजना में क्षेत्रीय गठजोड़ को परिभाषित करते हुए, इसकी वैधता को निम्नानुसार बरकरार रखा गया थाः:

"90.....अधिभार का भुगतान करने का दायित्व अनुच्छेद 286 द्वारा कवर किए गए लेनदेन सहित सकल कारोबार पर नहीं है, बल्कि केवल आंतरिक बिक्री पर है और अधिभार उन डीलरों पर लगाया जाना है जिनके पास आर्थिक श्रेष्ठता की स्थिति है। अधिनियम की धारा 2 (ज) में सकल कारोबार की परिभाषा को भारत के क्षेत्र से बाहर माल के आयात या निर्यात के दौरान अंतर-राज्य बिक्री या बाहरी बिक्री या बिक्री पर अधिभार लाने के उद्देश्य से नहीं अपनाया गया है।लेकिन यह केवल राज्य के भीतर डीलरों को वर्गीकृत करने और ऐसे अधिभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी डीलरों के वर्ग की पहचान करने के उद्देश्य से है। अंतर्निहित उद्देश्य डीलरों को उन लोगों में वर्गीकृत करना है जो आर्थिक रूप से श्रेष्ठ हैं और जो नहीं हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सरचार्ज उन लोगों पर लगाया जाता है जो अतिरिक्त कर का बोझ उठाने की क्षमता रखते हैं। जिन व्यक्तियों पर आरोप लगाने की मांग की गई है और उन पर कर लगाने की मांग करने वाले राज्य के बीच पर्याप्त क्षेत्रीय संबंध है। क्षेत्रीय संबंध की पर्याप्तता में दो तत्वों पर विचार शामिल है: (क) कनेक्शन वास्तविक होना चाहिए और भ्रामक नहीं, और (ख) लगाया जाने वाला दायित्व उस

क्षेत्रीय संबंध से प्रासंगिक होना चाहिए: मुंबई सरकार बनाम आर.एम.डी. चमारबागवाला एआईआर 1957 एससी 699, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार सरकार (1958) एससीआर 1355 और इंटरनेशनल ट्रिस्ट कॉर्पोरेशन बनाम हरियाणा सरकार (1981) 2 एससीसी 318.”

28. उपरोक्त निर्णयों में चर्चा किए गए सिद्धांतों को लागू करते हुए, राज्य कानून, अर्थात्, स्टांप अधिनियम, 1998, राज्य के बाहर निष्पादित उपकरणों पर स्टांप शुल्क की प्रभार्यता प्रदान करते समय, जब राज्य में प्राप्त होता है, अभिव्यक्ति में क्षेत्रीय संबंध प्रदान करता है, “संबंधित किसी भी संपत्ति की स्थिति, या किसी मामले या राज्य में किए गए या किए जाने वाले काम के लिए”, 1998 के स्टांप अधिनियम की धारा 3 के उप-धारा(ख) में शामिल किया गया है।

स्टांप अधिनियम 1998 की धारा 20 राजस्थान सरकार में बढे हुए शुल्क के लिए उत्तरदायी कुछ लिखतों पर शुल्क के भुगतान का प्रावधान करती है। इस प्रावधान के तहत, जब कोई लिखत राजस्थान सरकार के अलावा भारत के किसी भी हिस्से में भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 या किसी अन्य कानून के तहत शुल्क के साथ प्रभार्य हो गया है ऐसे भाग में कुछ समय के लिए लागू होने और उसके बाद राजस्थान सरकार में स्टांप अधिनियम 1998 के तहत शुल्क की उच्च दर के साथ प्रभार्य हो जाता है, ऐसे साधन पर शुल्क प्रभार्य की राशि स्टांप अधिनियम के तहत उस पर प्रभार्य राशि होगी, में भारत में पहले से भुगतान की गई शुल्क की राशि, यदि कोई हो, घटा दी जाएगी। इसमें आगे प्रावधान है कि पहले से चिपकाए गए टिकटों के अलावा, यदि कोई हो, तो ऐसे लिखत पर पहले के खंड के तहत उस पर लगने वाले शुल्क की राशि के भुगतान के लिए आवश्यक स्टांप उसी तरीके से और एक ही समय में लगाया जाएगा। और एक ही व्यक्ति द्वारा, जैसे कि ऐसा लिखत राज्य में पहली बार प्राप्त हुआ एक लिखत थी, जब यह उच्च शुल्क के साथ प्रभार्य हो गई।

1998 के स्टांप अधिनियम की धारा 3 के तहत उल्लिखित पूर्वोक्त

वैधानिक योजना के अनुसार, अर्थात् चार्जिंग धारा, 1998 के स्टॉप अधिनियम की धारा 21 राज्य के बाहर पंजीकृत उपकरणों की प्रतियों पर शुल्क के अंतर के भुगतान का प्रावधान करती है। कोई भी लिखत राजस्थान सरकार के अलावा भारत के किसी भी हिस्से में पंजीकृत है और ऐसा लिखत पूरी तरह या आंशिक रूप से राजस्थान सरकार में स्थित किसी संपत्ति से संबंधित है, ऐसे लिखत की प्रतिलिपि, पंजीकरण के तहत राजस्थान सरकार में प्राप्त होने पर होगी अधिनियम, 1908 के तहत मूल लिखत पर शुल्क के अंतर का आरोप लगाया जा सकता है।

इसलिए स्पष्ट रूप से, यदि लिखत राजस्थान सरकार में बढ़े हुए शुल्क के लिए उत्तरदायी है तो यह केवल शुल्क का अंतर है, जो स्टॉप अधिनियम 1998 के तहत देय है।

29. राज्य के बाहर निष्पादित किसी लिखत पर स्टॉप शुल्क की प्रभार्यता की वैधानिक योजना का विश्लेषण करने के बाद राजस्थान माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को लागू कर रहा है, अर्थात्, कर लगाने की घटना और क्षेत्रीय सांठगांठ के संबंध में, वर्तमान मामले में, साधन, अर्थात् हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय का आदेश, व्यवस्था और समामेलन की योजना को मंजूरी देता है। अपीलार्थी-कंपनी अर्थात् हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड के साथ सनविजन इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान सरकार में प्राप्त होने पर, केवल राजस्थान सरकार में स्थित संपत्तियों के संबंध में स्टॉप शुल्क वसूल करेगी, न कि उसके संबंध में। शेयरों का हस्तांतरण इसलिए किया गया क्योंकि जहां तक हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित समामेलन के आदेश के आधार पर शेयरों के हस्तांतरण का संबंध है, तो यह राजस्थान सरकार के क्षेत्र के भीतर नहीं हुआ। दोनों कंपनियां राजस्थान के क्षेत्र से बाहर स्थित हैं। व्यवस्था एवं समामेलन की संपूर्ण कार्यवाही तथा इसकी मंजूरी राजस्थान सरकार के बाहर हुई। इसलिए, उस सीमा तक, स्टॉप अधिनियम 1998 के तहत स्टॉप शुल्क कंपनी अधिनियम के तहत पारित हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के आदेश पर नहीं लगाया जाएगा, जैसाकि स्टॉप अधिनियम 1998 से जुड़ी

अनुसूची में क्रम संख्या 21 में संदर्भित है। समामेलन से संबंधित आदेश के आधार पर, 1998 के स्टांप अधिनियम के क्षेत्रीय आवेदन के बाहर होने वाले शेरों के हस्तांतरण को राज्य अधिनियम के तहत स्टांप शुल्क लगाने के प्रयोजनों के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा, अर्थात्, स्टांप अधिनियम 1998।

30. यदि 1998 के स्टांप अधिनियम की धारा 3 में ड्यूटी के लिए प्रभार्यता प्रदान की गई है, तो इसकी व्याख्या विद्वान एकलपीठ द्वारा की गई है और विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है। राज्य की ओर से उपस्थित होने पर, एक लिखत, जिसे राजस्थान सरकार के बाहर निष्पादित किया जाता है, कर लगाने की घटना जिसका कोई क्षेत्रीय संबंध नहीं है, राजस्थान सरकार में स्टांप शुल्क के लिए भी प्रभार्य हो जाएगा। इस तरह की व्याख्या "किसी भी संपत्ति की स्थिति, या राज्य में किए गए या किए जाने वाले किसी भी मामले या चीज से संबंधित" अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करेगी, जो कानून की व्याख्या के सबसे प्रमुख सिद्धांतों में से एक के खिलाफ होगी, जैसे व्याख्या विधायिका द्वारा सचेत रूप से उपयोग किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों की अस्वीकृति पर आधारित होगी। दूसरे, इस तरह की व्याख्या एक अन्य प्रमुख सिद्धांत का गंभीर उल्लंघन होगी कि विधायी इरादे को मुख्य रूप से कानून की भाषा से इकट्ठा किया जाना चाहिए। तीसरा, इस तरह की व्याख्या राज्य के कानून को ही असंवैधानिक बना देगी क्योंकि यह अनुच्छेद के तहत प्रदत्त विधायी शक्तियों से भी अधिक होगी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 245, जो स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि राज्य का विधानमंडल पूरे क्षेत्र या राज्य के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकता है। हमने यहां ऊपर देखा है कि तीन निर्णयों में, अर्थात्, मुंबई सरकार बनाम आर.एम.डी. चमारबागवाला और अन्य (सुप्रा.), टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार सरकार (सुप्रा.) और मेसर्स होचस्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और अन्य बनाम बिहार सरकार और अन्य (सुप्रा.), क्षेत्रीय सांठगांठ सिद्धांत को राजकोषीय विधानों के संबंध में लागू किया गया था। इसलिए, उस व्याख्या को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो प्रावधान की संवैधानिकता को बचाती है, न कि उसे, जो प्रावधान को असंवैधानिक बनाती है।

यह सुस्थापित है कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की तीन सूचियों में

विभिन्न प्रविष्टियाँ कानून की "शक्तियाँ" नहीं हैं, बल्कि कानून के "क्षेत्र" हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 245 संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की सीमा प्रदान करता है। यह सुस्थापित है कि कराधान को विधायी क्षमता के प्रयोजनों के लिए एक अलग मामला माना जाता है। विधान और कराधान के सामान्य विषयों के बीच अंतर किया गया है। कानून के सामान्य विषयों को प्रविष्टियों के एक समूह में और शक्ति के साथ-साथ कराधान को एक अलग समूह में निपटाया जाता है। इसलिए, कर लगाने की शक्ति को सहायक शक्ति के रूप में सामान्य विधायी प्रविष्टि से नहीं निकाला जा सकता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि राज्य विधायिका को विधायी शक्ति का व्यापक दायरा देने वाली एक व्याख्या, ताकि राज्य के बाहर निष्पादित उपकरणों पर स्टॉप शुल्क लगाया जा सके, भले ही यह राज्य के भीतर किसी भी क्षेत्रीय संबंध वाले किसी भी कर लगाने की घटना से संबंधित न हो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 245 का उल्लंघन होगा।

31. ऊपर माननीय उच्चतम न्यायालय के एक से अधिक निर्णयों का उल्लेख करते हुए, हमने माना है कि कर संबंधी कानून की व्याख्या किसी भी अनुमान या धारणा पर नहीं की जा सकती है और इसकी व्याख्या स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई बातों के आधार पर की जानी चाहिए, न कि निहितार्थ के आधार पर जैसाकि ऊपर कहा गया है, माननीय उच्चतम न्यायालय के तीन निर्णयों में इस विधिक स्थिति से निपटने के बाद, हमें इस बिंदु पर ढेर सारे निर्णयों के साथ अपने निर्णय पर बोझ डालने की आवश्यकता नहीं है।

यहां सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), **मुंबई बनाम दिलीप कुमार एंड कंपनी और अन्य (सुप्रा.)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठने चार्जिंग प्रावधान में अस्पष्टता के मामले में लागू सिद्धांतों के संबंध में अलग-अलग विचारों पर चर्चा करने के बाद आधिकारिक तौर पर नीचे बताया गया है:

"53. विभिन्न उदाहरणों की पूरी तरह से जांच करने के बाद, जिनमें से कुछ हमारे सामने उद्धृत किए गए थे और हमारे चिंताजनक विचार के बाद, हम निष्कर्ष निकालने के लिए उचित से अधिक होंगे और यह मानने के लिए भी मजबूर होंगे कि प्रत्येक कर कानून, जिसमें चार्जिंग, गणना और छूट खंड

शामिल हैं (सीमा स्तर पर) की कड़ाई से व्याख्या की जानी चाहिए। इसके अलावा, चार्ज प्रावधानों में अस्पष्टता के मामले में, लाभ आवश्यक रूप से विषय/निर्धारिती के पक्ष में जाना चाहिए, लेकिन छूट अधिसूचना के लिए यह सच नहीं है, जिसमें अस्पष्टता के लाभ की व्याख्या राजस्व/राज्य के पक्ष में सख्ती से की जानी चाहिए।

54. गोविंद सरन गंगा सरन बनाम सीएसटी 1985 सप्ल एससीसी 205 में, इस न्यायालय ने कर कानून के तीन घटकों की ओर इशारा किया, अर्थात्, कर का विषय; कर चुकाने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति; और वह दर जिस पर कर लगाया जाना है। यदि किसी भी घटक को समझने में कोई अस्पष्टता है, तो विधायिका द्वारा अस्पष्टता या दोष दूर होने तक कोई कर नहीं लगाया जा सकता है। [मथुराम अग्रवाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य देखें। (1999) 8 एससीसी 667; इंडियन बैंक्स एसो. बनाम देवकला कंसल्टेंसी सर्विस (2004) 11 एससीसी 1 और कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2011) 5 एससीसी 360।]”

32. विद्वान एकलपीठ का यह निष्कर्ष कि यदि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्टांप शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, तो स्टांप अधिनियम 1998 के तहत लगाया जा सकता है, उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर कोई विधिक आधार नहीं है। सबसे पहले, यह स्थापित करने के लिए किसी भी पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि हिमाचल प्रदेश में राज्य कानून के तहत प्रश्नगत दस्तावेज पर स्टांप शुल्क लगाया जा सकता है। दूसरे, भले ही अपीलार्थी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्टांप शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था या नहीं और उस राज्य में इसका भुगतान किया गया है या नहीं, स्टांप शुल्क केवल राज्य में स्थित संपत्तियों के संबंध में लगाया जाएगा। राजस्थान और लिखत के तहत शेयरों के हस्तांतरण के संबंध में नहीं, क्योंकि लिखत के निष्पादन और

हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से स्थानांतरण में कोई क्षेत्रीय संबंध नहीं होता है।

विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा **हिंदुस्तान लीवर एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (सुप्रा.)** में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखा गया जो ग़लत है क्योंकि उस मामले में विचारार्थ मुद्दा इस प्रकार था;

"8. हमारे सामने जिन मुद्दों पर बहस चल रही है वे हैं: (1) क्या राज्य विधानमंडल के पास अदालत द्वारा पारित एकीकरण के आदेश पर स्टांप शुल्क लगाने की विधायी क्षमता थी? और (2) क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 के साथ पठित धारा 394 के तहत एकीकरण की योजना को मंजूरी देने वाला आदेश, महाराष्ट्र राज्य में अपने आवेदन में मुंबई स्टांप अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुहर लगाने के लिए उत्तरदायी है? "

वर्तमान मामले में, यह याचिकाकर्ता का मामला नहीं है कि विधायिका के पास न्यायालय द्वारा पारित समामेलन आदेश पर स्टांप शुल्क लगाने की क्षमता नहीं है, लेकिन 1998 के स्टांप अधिनियम की धारा 3 की वैधानिक योजना के तहत निहित प्रावधानों के संदर्भ में स्टांप शुल्क वसूलने की क्षमता नहीं है।

**न्यू सेंद्रल जूट मिल कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य (सुप्रा.)** मामले में उच्चतम न्यायालय प्रत्यर्थीगण राज्य के तर्क का समर्थन नहीं करता है और यह केवल याचिकाकर्ता के मामले का स्टांप अधिनियम 1998 की धारा 21 में निहित प्रावधानों के मद्देनजर समर्थन करता है कि राजस्थान सरकार में शुल्क की दर अधिक होने पर शुल्क का अंतर ही देय होगा। यह माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त निर्णय के पैरा 20 में जो कहा गया है उससे स्पष्ट है जिसे नीचे दिया गया है:

"(20) इसका परिणाम यह होगा कि यदि कोई लिखत एक

राज्य में निष्पादन के बाद वहां शुल्क के लिए उत्तरदायी हो जाता है और वहां प्राप्त होने पर दूसरे राज्य में भी शुल्क के लिए उत्तरदायी हो जाता है, तो पहले उस पर कानून के अनुसार मुहर लगानी होगी। पहले राज्य की और उस पर दूसरे राज्य के कानून के अनुसार आगे मुहर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी जब उस दूसरे राज्य की दर समान या कम हो; और जहां दूसरे राज्य की दर अधिक है, वहां केवल अतिरिक्त राशि पर मुहर लगाने की आवश्यकता होगी और वह दूसरे राज्य में लागू कानून और नियमों के अनुसार होगी।

33. उपरोक्त विचार और चर्चा के क्रम में, हम मानते हैं कि अपीलार्थी केवल राजस्थान सरकार में स्थित संपत्तियों के बाजार मूल्य पर स्टांप अधिनियम 1998 की वैधानिक योजना के अनुसार मूल्यांकन करने के लिए स्टांप शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसी देनदारी से अधिक स्टांप शुल्क के भुगतान की मांग स्टांप अधिनियम 1998 के तहत अधिकार से अधिक है।

34. परिणामस्वरूप, विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.06.2019 को कानून की दृष्टि से अस्थिर माना जाता है और उसे अपास्त कर दिया जाता है। रिट याचिका की भी अनुमति है। प्रत्यर्थी संख्या 2, जिलाधीश (स्टांप), जयपुर सर्कल- III (रिट याचिका के साथ संलग्न अनुलग्नक पी-1 और अनुलग्नक पी-2 द्वारा जारी आदेश और नोटिस दिनांक 07.03.2018, जिसमें जारी किए गए शेरों के मूल्य को शामिल किया गया है। व्यवस्था और समामेलन की योजना को भी अपास्त कर दिया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 2 को इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अपीलार्थी-कंपनी द्वारा देय शुल्क का नए सिरे से मूल्यांकन करने का निर्देश दिया जाता है।

तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

(बीरेंद्र कुमार), न्यायमूर्ति

(मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव), न्यायमूर्ति

MANOJ NARWANI

**टिप्पणी:** इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।